**जनपद - संतकबीरनगर** **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 11-09-2021**

आज दिनांक 11.09.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

**थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा दुष्कर्म के मामले मे वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार**

जनपद में **मिशन शक्ति अभियान** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु **पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर डॉ कौस्तुभ** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद **श्री अंशुमान मिश्रा** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली खलीलाबाद **श्री अनिल कुमार** के नेतृत्तव में गठित टीम द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 619 / 2021 धारा 376 / 504 भा0द0वि0 के मामले मे वांछित अभियुक्त नाम पता अक्षयलाल उर्फ संजय कुमार पुत्र रघुनाथ निवासी काट दिहेश थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा वादिनी की पुत्री के साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गयी थी, जिसके संबंध मे वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर दिनांक 08.09.2021 को अभियोग पंजीकृत कराया गया था। महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए उक्त अभियुक्त को आज दिनांक 11.09.2021 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

**गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः-** उ0नि0 श्री आनन्द प्रकाश मय हमराह।

**थाना महुली पुलिस द्वारा दुष्कर्म के मामले मे वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार**

जनपद में **मिशन शक्ति अभियान** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु **पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर डॉ कौस्तुभ** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी धनघटा **श्री रामप्रकाश** के निकट पर्यवेक्षण में **थाना महुली पुलिस द्वारा** मु0अ0सं0 264 / 2021 धारा 376(D) / 506 भा0द0वि0 व 3(2)5 एससी एसटी एक्ट के मामले मे वांछित अभियुक्तगण नाम पता 1- गयासुद्दीन पुत्र फिरोज 2 – शाहआलम उर्फ बाढू पुत्र कपिल अहमद निवासीगण ग्राम छितही थाना महुली

जनपद संतकबीरनगर को कुशवाहा बाजार से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

विदित हो कि उक्त अभियुक्तगण द्वारा वादिनी की के साथ शौच के दौरान दुष्कर्म की घटना कारित की गयी थी, जिसके संबंध मे वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर दिनांक 09.09.2021 को अभियोग पंजीकृत कराया गया था। महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए उक्त अभियुक्त को आज दिनांक 11.09.2021 को थाना महुली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

**गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः-** प्रभारी निरीक्षक श्री रणविजय सिंह, हे0कां0 अनिल कुमार, हे0कां0 पप्पू सिंह।

**अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ की कार्यवाही के अन्तर्गत 26 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, 03 अभियुक्त गिरफ्तार**

**थाना दुधारा पुलिस द्वारा** 06 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त नाम पता पतिराम पुत्र रामजस निषाद निवासी सिसवा पठानटोला केवटहिया दुधारा जनपद संतकबीरनगर को आटाकला मोड़ के पास से 06 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना दुधारा पर मु0अ0सं0 297 / 2021 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

**गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः-** उ0नि0 श्री कामेश्वर मिश्रा प्रभारी चौकी पचपोखरी, हे0कां0 रामेश्वर मिश्र।

**थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा** 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्ता नाम पता ऊषा देवी पत्नी हरिभजन निषाद भेडौरा पिकौरा थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना बेलहरकला पर मु0अ0सं0 167 / 2021 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

**गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः-** हे0कां0 रविशंकर श्रीवास्तव, हे0कां0 राजेश चौरसिया, म0कां0 सुमन यादव।

**थाना धनघटा पुलिस द्वारा** 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त नाम पता रामअशीष पुत्र हंसू निवासी दुधरा उर्फ खैरा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना धनघटा मु0अ0सं0 448 / 2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

**गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः-** उ0नि0 श्री लाल बिहारी निषाद, राधेश्याम वर्मा, विनोद यादव।

**शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 12 अभियुक्त गिरफ्तार**

● **थाना दुधारा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

● **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 07 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

● **थाना मेहदावल पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

## पीआरवी आफ द डे

**पीआरवी 1493 द्वारा मारपीट / विवाद में घायल व्यक्ति को पहुंचाया गया अस्पताल –** पीआरवी 1493 को थाना बखिरा क्षेत्रांतर्गत बड़हरा से इवेन्ट संख्या 07367 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट व विवाद के दौरान एक व्यक्ति के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 06 मिनट में पहुंचकर मारपीट में घायल व्यक्ति को पीआरवी वाहन से प्रा0स्वा0 केन्द्र मेहदावल भेजवाया गया तथा घटना के संबन्ध में थाना बखिरा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर मारपीट में घायल को अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचायी गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

**पीआरवी स्टाफ –** मु0आ0 विनोद गुप्ता, आरक्षी सुजीत कुमार सिंह, हो0गा0 महेन्द्र यादव।

**मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 91 वाहनो से 64,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया**

आज दिनांक 11.09.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 91 वाहनो से 64,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।